उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार – 249404

पत्रांक : 452/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा–2/2021–22 दिनांक 08 नवम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन–2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय में योजित रिट याचिका संख्या 619 (S/B) of 2024 शालिनी पाठक बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01.10.2024 के अनुपालन में अभ्यर्थिनी का औपबंधिक साक्षात्कार दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 को द्वितीय सत्र (अपराह्न 12:30 बजे) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में सम्पन्न किया गया।

2. अवगत कराना है कि मा0 आयोग के निर्णय के क्रम में अभ्यर्थिनी शालिनी पाठक (अनुक्रमांकः 504362) के अभिलेखों के सन्निरीक्षा के क्रम में रिसर्च पब्लिकेशन व टीचिंग अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण विषय–विशेषज्ञों द्वारा तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों/अन्य अभिलेखों की सन्निरीक्षा की गई। सन्निरीक्षा के क्रम में मा0 आयोग द्वारा निम्न अभिलेखों के क्रम में अनर्ह किया गयाः–

(1) विषय–विशेषज्ञों द्वारा टीचिंग अनुभव को सही माना गया है परन्तु विज्ञापन में उल्लिखित तालिका 3(B) के क्रम संख्या 06 के अनुसार एक ही शोधपत्र 'वेदाजंली' "Peer Reviewed" होने के कारण केवल इसी के 02 अंक अनुमन्य किये गए है, जिस कारण अभ्यर्थी के कुल ए0पी0आई0 स्कोर 80 अंकों में से रिसर्च पब्लिकेशन के दावित 06 अंक में से 02 अंक अनुमन्य होने तथा शेष 04 अंकों की कटौती करने पर कुल ए0पी0आई0 स्कोर 80 अंक के स्थान पर 76 अंक होगा। अतः अभ्यर्थिनी शालिनी पाठक (अनुक्रमांकः 504362) संशोधित कट–ऑफ स्कोर 80 में स्थान धारित नहीं करती हैं।

(2) अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखों के साथ पीएच0डी0 के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार विज्ञापन के परिशिष्ट–4 प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या (1) व (2) के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय में अनारक्षित/उत्तराखण्ड महिला हेतु संशोधित कट–ऑफ में स्थान धारित न करने तथा पीएच0डी0 के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार विज्ञापन के परिशिष्ट–4 प्रमाण–पत्र संलग्न न करने के कारण मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थिनी शालिनी पाठक (अनुक्रमांकः 504362) को अनर्ह घोषित किया गया है।

3. उक्त अनर्हता के संबंध में अभ्यर्थिनी शालिनी पाठक (अनुक्रमांकः 504362) को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त अनर्हता के संबंध में कोई वांछित अभिलेख/प्रत्यावेदन उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो कार्यालय ज्ञाप प्रेषित किये जाने की तिथि 08.11.2024 से दिनांक 18.11.2024 (सोमवार) के सांय 06:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार– 249404 के कार्यालय को उपलब्ध करा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभिलेख/प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

सेवा में,
शालिनी पाठक
अनुक्रमांकः 504362